आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/01/23	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
17.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17.04.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	

12.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित रैयत को नोटिस किया गया। सूचना का तामिला प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 26.05.2023 रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।
26.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार/रैयत उपस्थित। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा, लगान रसिद एवं बंदोबस्ती नक्सा की छायाप्रति दाखिल की गई है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से रैयत द्वारा दाखिल प्रमाणों का मिलान कर जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 07.07.2023 ... को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।
07.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षकं द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 95 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/~~श्रीमति~~ महेश सिंह दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0 204/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है। अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, मनातू।

सेवा में

अंचल अधिकारी

मनातू पलामू

विषय:- संदिग्ध | संदेहास्पद जमाबंदी केस न० 70/2016-17 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे प्रतिवेदित करना है कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस न० 70/2016-17 के सम्बध मे जाचोपरान्त पाया कि ग्राम सिलदिलीया खुर्द के मांग पंजी II के पृ० सं० 95/ पर मांग धारी रैयत महेश सिंह पिता रिखेश्वर सिंह के नाम से मॉग कायम है। ऑफ लाईन मांग पंजी II के अनुसार भूमि का बिवरण इस प्रकार है।

ग्राम	खाता	प्लौट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
सिलदिलीयाखुर्द	37 -	854 -	1.80 एकड़	बन्दोवस्ती वाद सं० 204/2002-03 के अनुसार दर्ज किया।

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष अंतिम लगानरसिद सं० 1103335 दिनांक 12/8/08 के द्वारा वर्ष 2008-09 दर्ज है। मॉग धारी रैयत से भूमि संबंधित दस्तावेज की मॉग किया गया जिसमे आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नही प्रस्तुत किया गया। अंचल कार्यलय से पुनः नोटिस निर्गत करते हुए एवं अंचल अमिन से भूमि सत्यापन कराते हुए अग्रतर करवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

K [signature]

12/04/23

R.S-I

महाशय,

सूचना निर्गत उपरान्त जमाबंदी रैयत द्वारा ~~सूचना निर्गत के पश्चात~~ लगान रसिद की छाया बन्दोबस्ती पर्ची, नक्सा एवं लगान रसिद की छाया प्रति दाखिल की गई है। पंजी II में उक्त बन्दोवस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी दर्ज किया गया है। जिसका प्राधिकार कालम में दर्ज है।

अतः उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध अथवा 4(H) के अन्तर्गत नही आता है।

K [signature]

4/07/23

R.S.I

सेवा में,

श्री मान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय :- संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केश नं. 70/2016-17 से संबंधित स्थल जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांगत संबंधि प्रतिवेदन करना है, कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केश नं. 70/16-17 के सम्बन्ध में स्थल जाँच हेतु ग्राम- सिलदिलीया खुर्द थाना - मनातु, थाना नं.- 478 गया। जाँचोउपरांत निम्न पाया।

खाता	प्लॉट	रकबा	बन्दोबस्ती चौहद्दी	मन्तव्य
37	854	1.80 एकड़	उ०- रामदयाल सिंह द०- दुलारी देवी पु०- गैर मालीक प०- सिवाना बजलपुर	स्थल पर जाकर देखने से स्पष्ट पता चलता है, की बन्दोबस्ती की गई भूमि वन सिमा के अन्दर है। वर्तमान में स्थल पर साखु के पेड़ भरा हुआ है। [illegible]

उपरोक्त बन्दोबस्ती केश नं.- 202/02-3 [illegible] बनाम [illegible] सिंह है।

अतः आवश्यक कारवाई हेतु स्थल जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वासी भाजन

[signature]

अंचल अमीन
मनातु
08/06/23

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.08.23 13:30:09 +05:30
Location: 10.93.157.5